

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1060/2013/बीकानेर.

मैसर्स शिवदीप इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,

(वर्तमान-मैसर्स भिखाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमि.), बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 364/सीएसटी/बीकानेर/2012-13 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में माल का विक्रय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 8(1) के तहत किया गया था एवं इस हेतु घोषणा पत्र 'सी' क्रेता व्यवहारी से प्राप्त किये जाकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनको नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे, परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त जयपुर के अधिकारी द्वारा यह आक्षेप किया गया कि अन्तर्राज्यीय क्रेता द्वारा जो घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी जांच करवाई जाने पर उस राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा क्रेता को जारी नहीं करना बताया गया है अतः घोषणा पत्र 'सी' को निरस्त करते हुए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यवहार में पूर्ण कर दर से करारोपण किया गया है तथा अन्तर कर पर ब्याज के साथ ही इसे करापवंचन का कृत्य मानते हुए कर की दुगुनी शास्ति भी आरोपित की गयी थी जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने भी अन्तर कर एवं ब्याज को

लगातार.....2

यथावत रखा, परन्तु इसे करापवंचन का कृत्य नहीं मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि यह प्रकरण तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से गलत आधारों पर सृजित किया गया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को मैसर्स मात्री स्टोर्स लखीपुर, सिल्वर (असम) से घोषणा पत्र संख्या ए.एस.-96-176299, ए.एस.-96-173743 एवं ए.एस.-96-176300 प्राप्त हुए थे, वे पूर्णतया वैध घोषणा पत्र थे, जिन्हें असम राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता व्यवहारी मैसर्स मात्री स्टोर्स को जारी किया गया था एवं मात्री स्टोर्स को अन्तर्राज्यीय व्यवहार में भेजे गये माल का भुगतान चैक द्वारा प्राप्त किया गया था एवं नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन घोषणा पत्रों को स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्रभावी कर दर 4 प्रतिशत से कर आरोपणीय माना गया था, परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से यह घोषित किया गया कि प्राप्त किये गये घोषणा पत्र 'सी' बोगस हैं जबकि असम राज्य के अधिकारी द्वारा दिनांक 28.9.2007 के पत्र द्वारा उपायुक्त (प्रतिकरापवंचन) राजस्थान को उनके द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम में यह जवाब प्रेषित किया गया था कि मैसर्स मात्री स्टोर्स लखीपुर को कुल 55 'सी' फॉर्म जारी किये गये थे उसमें उक्त तीन 'सी' फॉर्म क्रेता फर्म को जारी किया जाना प्रमाणित किया गया था एवं यह टिप्पणी की गयी थी कि क्रेता ने इन घोषणा पत्रों को डिलीवर नहीं होना जाहिर किया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी विक्रेता व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय क्रम में माल बेचा जाना एवं उसकी डिलीवरी अन्तर्राज्यीय होना एवं उसका भुगतान प्राप्त किया जाना प्रमाणित होने के सम्बन्ध में कोई संदेह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया बल्कि इन अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों को किया जाना माना गया है परन्तु केवल इसी आधार पर कि क्रेता व्यवहारी द्वारा इन 'सी' फॉर्म की डिलीवरी नहीं लेना बताने के आधार पर इन 'सी' फॉर्म को बोगस बताया गया है जो तथ्यात्मक रूप से मिथ्या होने से पूर्णतया न्याय एवं विधि के विरुद्ध है। कथन किया कि अन्तर्राज्यीय व्यवहार में माल के विक्रय होने के पश्चात् उसका भुगतान प्राप्त होने एवं उसी संव्यवहार के 'सी' फॉर्म क्रेता व्यवहारी द्वारा प्रेषित किये जाने से यह संव्यवहार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत ही आच्छादित योग्य है एवं क्रेता व्यवहारी की कर चोरी की



लगातार.....3



मंशा से ऐसे 'सी' फॉर्म को प्राप्त नहीं होने के केवलमात्र कथन से उन घोषणा पत्रों को बोगस माना है जबकि विभागीय जांच में स्पष्ट रूप से इन्हें वैध घोषणा पत्र होना एवं क्रेता व्यवहारी को जारी किया जाना प्रमाणित किया हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी का किसी भी तरह का दोष नहीं होने से उस पर अन्तर कर का आरोपण किया जाना विधि के विरुद्ध है।


5. अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 495/1998/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोधपुर बनाम चौपड़ा कैमिकल्स निर्णय दिनांक 11.02.2002 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि 'सी' फॉर्म के फर्जी होना साबित नहीं होने की स्थिति में कर एवं ब्याज आरोपणीय नहीं माना गया है।

6. यह भी कथन किया कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के वैध घोषणा पत्रों को स्वीकार किया जाकर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार करारोपण किया गया था, उस कर निर्धारण आदेश को रिओपन करने का कोई कारण अवस्थित नहीं होने के बावजूद भी रिओपन किया गया है, इस आधार पर भी यह आदेश अविधिक आदेश है अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए उक्त तीनों घोषणा पत्रों के तहत की गयी बिक्री के सम्बन्ध में आरोपित अन्तर कर को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

7. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. इस प्रकरण में हमारे समक्ष निर्णय हेतु केवलमात्र बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नियमित संव्यवहारों में की गई बिक्री को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के तहत घोषणा पत्र 'सी' से समर्थित होना माना जायेगा अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि अन्तर्राज्यीय व्यवहार में किये गये संव्यवहारों में किसी पंजीकृत व्यवसायी को माल का विक्रय किये जाने पर धारा 8(1) के अनुसार रियायती कर दर 4 प्रतिशत से कर देयता रहती है परन्तु उसके लिये क्रेता व्यवहारी को वैध घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म जारी किया जाना अनिवार्य होता है। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि व्यवहारी द्वारा जो माल विक्रय किया गया है वह अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में किया गया है एवं इस संव्यवहार को गलत नहीं बताया गया है, बल्कि इसे अन्य राज्य के व्यवहारी को विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार 'सी' फॉर्म की अनिवार्यता के प्रावधान के





लगातार.....4


अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारी से प्राप्त किये गये घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन घोषणा पत्रों को स्वीकार किया जा चुका था परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश में यह माना गया कि यह घोषणा पत्र इस आधार पर बोगस हैं कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये हैं जबकि पत्रावली एवं अपीलीय आदेश में भी यह अंकित किया गया है कि क्रेता व्यवहारी मैसर्स मात्री स्टोर्स को उक्त वर्णित प्रश्नगत घोषणा पत्र जारी किये गये थे अतः ऐसी स्थिति में उन्हें बोगस माना जाना विधि के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में यह अंकित किया जाना भी उचित होगा कि किसी क्रेता व्यवहारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से घोषणा पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा विधिसम्मत रूप से की गयी खरीद के विरुद्ध ही घोषणा पत्र जारी किये जा सकते हैं एवं इसी अनुसार क्रेता व्यवहारी द्वारा उन घोषणा पत्रों को प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी को भेजे गये हैं, इसमें अपीलार्थी व्यवहारी का कोई दायित्व नहीं होता है कि क्रेता व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये माल को उस राज्य में विक्रय किया गया है अथवा नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेता व्यवहारी द्वारा इन घोषणा पत्रों से खरीद किये गये माल को कर चोरी करते हुए असम राज्य में विक्रय कर दिया गया है एवं इसलिए उनके द्वारा घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होना अंकित करवाया गया है जो पूर्णतया उस राज्य में होने वाली कर चोरी का प्रमाण मात्र है क्योंकि उक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो माल विक्रय किया गया है उन्हीं बिलों के संव्यवहारों के लिये ही क्रेता व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र जारी किये गये हैं एवं उस माल का चैक द्वारा भुगतान भी क्रेता द्वारा ही किया गया है साथ ही असम के प्राधिकृत अधिकारी के पत्र द्वारा यह प्रमाणित भी किया गया है कि क्रेता व्यवहारी को यह घोषणा पत्र जारी किये गये हैं ऐसी स्थिति में इन घोषणा पत्रों को मिथ्या या बोगस बताया जाना निराधार ही नहीं बल्कि मिथ्या है एवं विधिक दस्तावेजों को बिना किसी साक्ष्य के अस्वीकार किये जाने का निर्णय है।

10. उक्त प्रकरण के वही समान तथ्यों के प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2288-2292/2012/जोधपुर मैसर्स चंचल इण्डस्ट्रीज, जोधपुर निर्णय दिनांक 18.03.2014 एवं अपील संख्या 1703-1705/2012/जोधपुर मैसर्स मेहता मेटल इण्डस्ट्रीज, जोधपुर निर्णय दिनांक 28.10.2013 में क्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्रों को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में यह अवधारित किया गया है कि इसमें विक्रेता व्यवहारियों का कोई दायित्व नहीं होता है बल्कि वैध घोषणा पत्रों को स्वीकार किया जाना विधिक अनिवार्यता है।




11. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए उक्त तीनों घोषणा पत्रों से सम्बन्धित बिक्रियों पर आरोपित किये गये अन्तर कर एवं ब्याज को अपास्त किया जाता है।
12. निर्णय सुनाया गया।


(क. प्र. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष